तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रवणराम बनाम राजेन्द्रसिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर – 218 / 2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व मे एक पक्षीय कार्यवाही आदेश दिए गए है। बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि मौजा रोही जाखडवाला तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर के खेत खसरा नम्बर 50 तादादी 1.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 57 तादादी 3.5700 हैक्टेयर कुल तादादी 5.0600 हैक्टेयर खातेदारी भूमि स्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थी को अनेको पेरानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी अपने खेत मे खसरा नम्बर 45 की पश्चिम सींव से होते हुए अपने खेत में प्रवेश कर रहा है क्योंकि खसरा नम्बर 45 के उत्तर दिशा मे एनएच 62 सडक है। जो कि वर्तमान में चल रही है। उक्त रास्ते से होते हुए प्रार्थी अपने खेत मे आवागमन कर रहा है। इससे नजदीक एवं सुविधा जनक अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थी खसरा नम्बर 45 के पश्चिम सींव पर अपने खेत तक रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 45 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है दिनांक 10.07.2023 को उक्त चालू रास्ता बंद करने की धमकी दे रहे है। जिसके कारण प्रार्थी को खेत मे जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। अप्रार्थी प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के रास्ते में अवरोध पैदा करने पर उतारू रहते है जिसके कारण प्रार्थी को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडता है इसलिए प्रार्थी अप्राथी। की उपरोक्त भूमि मे से रास्ता लेने की हकदार है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी की भूमि मे आने–जाने के लिए और कोई स्वीकृत रास्ता नजदीकी नहीं है प्रार्थी अपने खेत मे अप्रार्थी से रास्ता मांगकर जाता है किसी अन्य के खेत मे रास्ता कानूनी स्वीकृत नहीं होने के कारण अन्य काश्तकार अपने खेत मे से आने जाने नहीं देते है जिसके कारण प्रार्थी की फसल उजड जाती है व प्रार्थी अपनी जमीन मे काश्त नहीं कर सकता इसलिए प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने के लिए स्वीकृत रास्ता की आवश्यकता है। उक्त रास्ते से प्रार्थी अप्रार्थी के खेत से होते हुए अपने खेत में प्रवेश करता है स्वीकृत रास्ता से प्रार्थी अप्रार्थी के खेत से अपने खेत तक रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की ग्राम रोही जाखडवाला के स्वीकृत रास्ते से खसरा नम्बर 45 के पश्चिम सींव पर लगभग 257 मीटर लम्बाई मे व 16 फुट चौडाई 02–02 बिस्वा उत्तर से दक्षिण दिशा व दक्षिण से पूर्व की ओर रास्ता अपने खेत तक नियमानुसार स्वीकृत करवाने का निवेदन किया गया। राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता के सम्बन्ध में सरकार को कोई आपति नहीं हैं। तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट प्राप्त पत्रावली शामिल हैं। रिपोर्ट में रोही जाखडवाला के खसरा नम्बर 45 के पश्चिम सींव पर लगभग 257 मीटर लम्बाई मे 16 फीट चौडाई 02–02 बिस्वा उत्तर से दक्षिण दिशा व दक्षिण से पूर्व की ओर रास्ता दिया जाना उचित है। उसके अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक रास्ता आने– जाने के लिए उपलब्ध नहीं है की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल है। हमने बहस का मनन किया । पत्रावली शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी रोही जाखड़वाला संवत् 2075–78 एवं नकल नक्शा एवं तहसीलदार लूनकरनसर रिपोर्ट का अवलोकन किया । पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 के सम्बन्ध में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि रोही जाखड़वाला खसरा नम्बर 50 मे पहुंच हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नम्बर 45 के पश्चिम सींव पर लगभग 257 मीटर लम्बाई मे 16 फीट चौडाई 02–02 बिस्वा उत्तर से दक्षिण दिशा व दक्षिण से पूर्व की ओर रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रस्तुत बहस, दस्तावेज एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को फैसले की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता नियमानुसार (चौड़ाई मे 02–02 बिस्वा) भूमि गणना कर वर्तमान डीएलसी दर के दुगने भुगतान संबंधित को होने पर रिकॉर्ड में अंकन कर मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	